

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 800/2024

अनवान : -

1. विश्व प्रताप सिंह राठौड़ पुत्र श्री गोपाल सिंह जाति राजपूत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
2. सुमन कंवर पत्नी गोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।

- वादीगण

**बनाम**

1. उम्मेद सिंह पुत्र लिछमण सिंह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. किशोर सिंह पुत्र लिछमण सिंह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3. जुगल सिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।
4. दलीप सिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।
5. महेन्द्रसिंह पुत्र लिछमण सिंह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।
6. लक्ष्मी कंवर पत्नी शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।
7. विनोद सिंह पुत्र लिछमण सिंह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।
8. ओमप्रकाश पुत्र नेकी राम जाति जाट निवासी लुदीझाबर तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
9. गुलाब कंवर पत्नी उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा  
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

निर्णय


दिनांक: 27/03/2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 454/457 के ख0न0 55 की 7.1978 हैक्ट भूमि व रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 455/458 की कुल 33.0292 हैक्ट भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता मे दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है इसलिए वादीगण अपने हक हिस्सा व कब्जा काश्त के मुताबिक अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया



  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

अतः वाद वादीगण घोषणा की जावें की रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 454/457 के ख0न0 55 की 7.1978 हैक्ट भूमि व रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 455/458 की कुल 33.0292 हैक्ट भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का खाता व लगान अलग अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर क्रिया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 10 परोकार राज ने जवाब पेश किया। साक्ष्य में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया। वादी ने वाद भूमि की नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 454/457 के ख0न0 55 की 7.1978 हैक्ट भूमि व रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 455/458 की कुल 33.0292 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

- 1 विश्वप्रताप राठौड़ पुत्र गोपालसिंह हि0 1/2 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार राहिन एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा रावतसर, सुमन कंवर पत्नी गोपालसिंह हि0 1/2 जाति राजपूत सा0 खातेदार राहिन एसडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा रावतसर— ग्राम धानसिया के ख0न0 61/1 की 2.5745, ख0न0 59/1 की 5.6564 हैक्ट, ख0न0 55/1 की 4.6465 हैक्ट कुल 12.8774 हैक्ट
- 2 उम्मेद सिंह पुत्र लिछमण सिंह हि0 15813/273496 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार राहिन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा खुईया, गुलाब कंवर पत्नी उमेदसिंह हि0 17710/273496 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार राहिन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा खुईया, किशोरसिंह पुत्र लिछमणसिंह हि0 33522/273496 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार, महेन्द्र सिंह पुत्र लिछमण सिंह हि0 33522/273496 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार राहिन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा खुईया, विनोद पुत्र लिछमणसिंह हि0 33522/273496 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार, जुगलसिंह पुत्र शैतानसिंह हि0 44696/273496 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार राहिन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

शाखा नोहर, दलीपसिंह पुत्र-शैतानसिंह हि0 44696/273496 जाति राजपुत सा0 देह  
खातेदार, लक्ष्मीकंवर पत्नी शैतानसिंह हि0 44698/273496 जाति राजपूत सा0 देह  
खातेदार, ओमप्रकाश पुत्र नेकीराम हि0 5313/273496 जाति जाट सा0 लूदीझाबर  
तहसील राजगढ़ खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोरखाना- ग्राम  
धानसिया ख0न0 61/2 की 7.7606 हैक्ट, ख0न0 59/2 की 3.1733 हैक्ट, ख0न0  
55/2 की 2.5513 हैक्ट, 101 की 0.4554 हैक्ट, ख0न0 102 की 9.3736 हैक्ट, ख0न0  
58 की 1.2145 हैक्ट, 67 की 1.2144 हैक्ट, ख0न0 71/1 की 0.8728 हैक्ट, ख0न0 98  
की 0.7337 हैक्ट कुल 27.3496 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन  
आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में  
अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी  
बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में  
उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय  
नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।  
अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 27/09/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय  
में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

## अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 800/2024

अनुवान : -

1. विश्व प्रताप सिंह राठौड़ पुत्र श्री गोपाल सिंह जाति राजपूत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
2. सुमन कंवर पत्नी गोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।

- वादीगण

### बनाम

1. उम्मेद सिंह पुत्र लिछमण सिंह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. किशोर सिंह पुत्र लिछमण सिंह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3. जुगल सिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।
4. दलीप सिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।
5. महेन्द्रसिंह पुत्र लिछमण सिंह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।
6. लक्ष्मी कंवर पत्नी शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।
7. विनोद सिंह पुत्र लिछमण सिंह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।
8. ओमप्रकाश पुत्र नेकी राम जाति जाट निवासी लुदीझाबर तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
9. गुलाब कंवर पत्नी उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 800 सन 2024 निर्णय दिनांक 27/03/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0. 454/457 के ख0न0 55 की 7.1978 हैक्ट भूमि व रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 455/458 की कुल 33.0292 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. विश्वप्रताप राठौड़ पुत्र गोपालसिंह हि0 1/2 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार राहिन एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा रावतसर, सुमन कंवर पत्नी गोपालसिंह हि0 1/2 जाति राजपूत सा0 खातेदार राहिन एसडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा रावतसर- ग्राम धानसिया के ख0न0 61/1 की 2.5745, ख0न0 59/1 की 5.6564 हैक्ट, ख0न0 55/1 की 4.6465 हैक्ट कुल 12.8774 हैक्ट
2. उम्मेद सिंह पुत्र लिछमण सिंह हि0 15813/273496 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार राहिन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा खुईया, गुलाब कंवर पत्नी उमेदसिंह हि0 17710/273496 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार राहिन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा खुईया, किशोरसिंह पुत्र लिछमणसिंह हि0 33522/273496 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार, महेन्द्र सिंह पुत्र लिछमण सिंह हि0 33522/273496 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार राहिन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा खुईया, विनोद पुत्र लिछमणसिंह हि0 33522/273496 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार, जुगलसिंह पुत्र शैतानसिंह हि0

अ

44696/273496 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार राहिन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा नोहर, दलीपसिंह पुत्र शैतानसिंह हि0 44696/273496 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार, लक्ष्मीकंवर पत्नी शैतानसिंह हि0 44698/273496 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार, ओमप्रकाश पुत्र नेकीराम हि0 5313/273496 जाति जाट सा0 लूदीझाबर तहसील राजगढ़ खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोरखाना- ग्राम धानसिया ख0न0 61/2 की 7.7606 हैक्ट, ख0न0 59/2 की 3.1733 हैक्ट, ख0न0 55/2 की 2.5513 हैक्ट, 101 की 0.4554 हैक्ट, ख0न0 102 की 9.3736 हैक्ट, ख0न0 58 की 1.2145 हैक्ट, 67 की 1.2144 हैक्ट, ख0न0 71/1 की 0.8728 हैक्ट, ख0न0 98 की 0.7337 हैक्ट कुल 27.3496 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 27/03/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

CI  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर